भारत सरकार

भारत

का

विधि आयोग

वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता से (सम्मान और परम्परा के नाम पर) हस्तक्षेप का निरोध: एक प्रस्तावित विधिक अवसंरचना

रिपोर्ट सं. 242

अगस्त, 2012

न्यायमूर्ति पी. वी. रेड्डी (पूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय) अध्यक्ष भारत का विधि आयोग

नई दिल्ली दूरभा-ा : 23015465(नि)

फैक्स 23384475

प्रिय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी,

"वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता से (सम्मान और परम्परा के नाम पर) हस्तक्षेप का निरोध: एक प्रस्ताविक विधिक असवंरचना" पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट यहां संलग्न है। संसद में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के अनुसरण में कि "सम्मानवश हत्या" से संबंधित विभिन्न पहलुओं की परीक्षा कराई जाएगी, विधि कार्य विभाग द्वारा भारत के विधि आयोग को एक निर्देश भेजा गया था।

2. "वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता से हस्तक्षेप का प्रतिनेध विधेयक" शीर्निक के अधीन आयोग द्वारा प्रस्तावित विधि का आशय उसी गोत्र या भिन्न जाति/धर्म के विवाह करने वाले नवयुवको/नवयुवितयों के प्राण और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले और खतरा पहुंचाने वाले जाति पिरेनदों/पंचायतों की सामाजिक बुराई का रोकना है । अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर रहे या विवाह करने का आशय रखने वाले किशोरों की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले आपितजनक कार्य सम्मान और परंपरा के नाम पर देश के कितपय भागों में किए जा रहे हैं । यह महसूस किया गया है कि ऐसे सम्मानवश अपराधों को विवाह की निंदा करने के प्रयोजन से पंचायतों के ऐसे सदस्यों के जमाव या एकत्रीकरण का प्रतिनेधाकर और उन्हें नुकसान पहुंचाने या तंग करने की आगे कार्रवाई कर प्रभावी रूप से रोका जा सकता है । प्रस्तावित विधान के अधीन तीन अपराध सृजित किए गए हैं और वे आज्ञापक न्यूनतम दंड द्वारा दंडनीय है । फिर भी, दंड के अनुपातिकता को ध्यान में रखा गया है । इस प्रस्तावित विधेयक के उपबंध न तो भारतीय दंड संहिता के प्रतिकूल है और न ही अतिक्रमण में । इस

कार्यालय : भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली — 110001

निवास: 1, जनपथ, नई दिल्ली – 110011.

अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दि-ट रूप से न आने वाले अपराधों की बाबत दंड संहिता के साधारण उपबंधों का अवलंब लिया जा सकता है । जिला मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा लिए जाने वाले निवारक और संरक्षणात्मक उपायों का भी अधिकथन किया गया है । धारा 5 द्वारा यथापरिकल्पित उपधारणा की सिफारिश की गई है । सलाह देने और विधिक जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सुझाए गए हैं । आनु-ांगिकतः भागवान दास वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय पर आलोचनात्मक समीक्षाएं आमंत्रित की गई है कि तथाकथित "सम्मनवश हत्या" के मामलों को प्राधिकृत करते हुए विरल से विरलतम मामला माना जाए ।

प्रस्तावित विधेयक रिपोर्ट के उपाबंध 1 पर है।

श्री सलमान खुर्शीद, सांसद माननीय केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री शास्त्री भवन, नई दिल्ली । सादर और साभार ह0/-(पी. वी. रेड़डी)

वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता से (सम्मान और परंपरा के नाम पर) हस्तक्षेप का निरोध: एक प्रस्तावित विधिक अवसंरचना

वि-।य सूची

क्रम सं.	प्रस्तावना	पृ-ठ सं.
1	प्रस्तावना	5
2	समस्या के आयाम और पृथक् विधि की	7
	आवश्यकता	
3	प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख लक्षण	12
4	विकल्प की स्वायत्तता और स्वतंत्रता –	14
	संरक्षणात्मक मूल्य	
5	क्या 'सम्मानवश हत्या' को भा. दं. सं. की धारा	16
	300 में सम्मिलित किया जाए	
6	सबूत का भार	17
7	सम्मानवश हत्या विधेयक : उत्तर और सुझाव	19
8	सलाह और जागरूकता	22
9	विवाह का रजिस्ट्रीकरण	23
10	नवीनतम उच्चतम न्यायालय निर्णय वाला मामला	23
	: मृत्युदंड	
11	सिफारिशों का संक्षिप्तांश	24
	उपाबंध — 1	27
	उपाबंध — 2	34
	उपाबंध — 3	45

वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता से (सम्मान और परंपरा के नाम पर) हस्तक्षेप का निरोध : प्रस्तावित विधिक अवसंरचना

1 प्रस्तावना

- 1.1 ध्यानाकर्नण प्रस्ताव पर संसद में चर्चा और तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के अनुसरण में कि "सम्मानवश हत्या" से संबंधित विभिन्न पहलुओं की परीक्षा कराई जाएगी, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2009 में भारत के विधि आयोग को एक निर्देश भेजा गया । इस प्रकार यह विनय विचारार्थ लिया गया ।
- 1.2 आरंभ में, यह उल्लेखनीय है कि "सम्मानवश हत्या" और "सम्मानवश अपराध" शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग समुदाय या कुटुम्ब सदस्यों की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह करने का आशय रखने वाले या विवाह कर चुके किशोर जोड़ों को कारित हिंसा और तंग किए जाने की घटनाओं को वर्णित करने के लिए सहज अभिव्यक्तियों के रूप में किया जा रहा है । इनका प्रयोग उपर्युक्त और सही अभिव्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि अधिक मोहित करने वाले पद के रूप में किया जाता है ।
- 1.3 तथाकथित, "सम्मानवश हत्या" या "सम्मानवश अपराध" हमारे देश के लिए विशि-ट नहीं है । यह एक बुराई है जो कई अन्य समाजों को भी शिकार बनाता है । यह धारणा ऐसे हिंसक अपराध का मूल कारण है कि पीड़ित व्यक्ति से कुटुम्ब या समुदाय को असम्मानित होना पड़ा है । ऐसे हिंसक अपराध विशे-ाकर महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं । पुरु-ा प्रधान संस्कृति के विरुद्ध जाने वाली महिला के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा पुरु-ा भी आक्रमण के शिकार होते हैं, भी सम्मानवश अपराध का एक कारण है । कुछ पश्चिमी संस्कृतियों में सम्मानवश हत्या प्रायः अधिक स्वछन्दता चाहने वाली और जीवन का अपना निजी मार्ग चुनने वाली महिलाओं से उद्भूत होता है । कुछ संस्कृतियों में, सम्मानवश हत्या को अन्य हत्याओं से कम गंभीर माना जाता है क्योंकि वे काफी समय से चल रही सांस्कृतिक परंपराओं से उद्भूत होते हैं और इस प्रकार समुचित या न्याय्य समझे जाते हैं । महिला का व्यभिचारी व्यवहार या विवाह-पूर्व संबंध या अपनी इच्छा से विवाह करने के अधिकार के प्राख्यान को अधिकांश देशों में सम्मानवश

हत्या का कारण माना जाता है । ऐसे कुटुम्ब जो महिलाओं के प्रति हिंसक हैं, में सांस्कृतिक व्यवहारों से संबंधित वर्न 2002 के यू. एन¹. विशेन रैपोरटर की रिपोर्ट में यह उपदर्शित किया गया है कि सम्मानवश हत्या जोर्डन, लेबनान, मोरक्को, पाकिस्तान, युनाइटेड अरब रिपब्लिक, तर्की, यमन और अन्य पार्शियन खाड़ी देशों में प्रतिवेदित थी और घटनाएं फ्रांस, जर्मनी और यू. के. जैसे पश्चिमी देशों में अधिकांशतः प्रवासी समुदायों में भी होती थीं । संयुक्त रा-द्र मानव अधिकार उच्च आयुक्त को प्रस्तुत "सम्मान के नाम पर किए जाने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को समाप्त करने के कार्यकरण²" रिपोर्ट काफी जानकारी देने वाली है । यू. एन. मानव अधिकार आयोग के अनुसार उपरोक्त नामित अन्य देशों के अलावा, बंगलादेश, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत, इजराइल, इटली, मोरक्को, स्वीडन, तर्की और यूगांडा देशों में सम्मानवश हत्या होते हैं । श्री विडनी ब्राउन, मानव अधिकार वाच के एडवोकेसी डायरेक्टर के अनुसार, सम्मानवश हत्या का रिवाज सभी संस्कृतियों और सभी धर्मों में है । ऐसी अफवाहें है कि कुछ समुदायों में, कई लोग ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को माफ करने के लिए तैयार है जिन्होंने उनके कृटुम्ब को असम्मानित किया है। 2009 की युरोपियन संसदीय सभी ने चिन्ता के साथ सम्मानवश अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान दिया । वर्न 2010 में, ब्रिटेन में सम्मान से संबंधित अपराधों में 47% की वृद्धि देखी गई । यू. के. में पुलिस अभिकरणों से प्राप्त आंकडों में वर्न 2010 में 2283 मामले होना दर्शाया गया है और अधिकांश हमले ऐसे शहरों में हुए जहां प्रवासियों की जनसंख्या अधिक थी । कुछ देश अर्थात, हैती, जार्डन, सीरिया, मोरक्को और दो लैटिन अमेरिकी देशों के रा-टीय विधिक न्यायालय जारकर्म करते हुए पाए गए महिला नातेदारों को मारने वाले पुर-ों या खुल्लम खुल्ला दु-कृति में अपनी पत्नियों को मारने वाले पतियों को दंडित नहीं करते । ईलेन और शीले³ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि साक्षात्कार किए गए 20% जोर्डिनियन का केवल यह विश्वास है कि कुटुम्ब सम्मान के नाम पर हत्या को इस्लाम माफ करता है या समर्थन करता है जो एक मिथक है ।

_

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa 0238025668700518ca4/42e7191fae543562c1256ba7004e963c/ \$FILE/G0210428.pdf

²http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300fa02 38025668700518ca4/985168f508ee799fc1256c52002ae5a9/ \$FILE/N0246790.pdf

³ सम्मान वश हत्या पर अनवर इमान के लेख में उद्धृत

- 1.4 जहां तक भारत का संबंध है, "सम्मानवश हत्या" की घटनाएं अधिकांशतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उ. प्र. राज्यों में होती है । बिहार में भागलपुर भी "सम्मानवश हत्या" का एक ज्ञात स्थान है । कुछ घटनाएं दिल्ली और तमिलनाडु से भी प्रकाश में आई हैं । अन्य जातियों के सदस्यों से विवाह या एक साथ रहने और विवाह करने के लिए पैतृक निवास छोड़ने वाले जोड़े ही उन जोड़ों और तत्समय कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को उकसाते हैं ।
- आयोग ने ऐसी घटनाओं की संख्या, अंतवर्लित व्यक्ति, विनिर्दि-ट कारण, आदि स्निश्चित करने का प्रयास किया जिससे कि ऐसे मामलों में साधारण अपराध परिदृ-ट का पता चल सके । ऐसे राज्यों के सरकारी प्राधिकारियों को जानकारी देने के लिए पत्र भेजे गए जहां प्रायः ऐसी घटनाएं होती हैं । गृह मंत्रालय के निदेशक (एस. आर.) ने भी तारीख 26 मई, 2010 के अपने पत्र द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों से आयोग को आवश्यक जानकारी देने का अनुरोध किया । तथापि, अनुरमारक के बावजूद काई उत्तर नहीं मिला । किन्तू, समाचार पत्र की रिपोर्टों और विभिन्न अन्य स्रोतों की रिपोर्टों से यह स्प-ट है कि उन राज्यों में अपने कृटुम्ब की स्वीकृति के बिना विवाह कर रहे और अपनी जाति या धर्म के बाहर विवाह कर रहे लोगों के परिणामस्वरूप सम्मानवश अपराध होते हैं । एक ही गोत्र (कुटुम्ब नाम) के जोड़ों के बीच विवाह से प्रायः कुटुम्ब सदस्यों या समुदाय के सदस्यों से हिंसक प्रतिक्रिया होती है । "खाप पंचायत" के रूप में विख्यात जाति परि-ादें या पंचायतें "नैतिक चौकन्नेपन" के चुनिंदा अनुक्रम को अपनाने का प्रयास करती है और समाज या समुदाय का संरक्षक होने की अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने आदेश प्रवृत्त करती हैं।

2. समस्या के आयाम और पृथक् विधि की आवश्यकता

2.1 अपनी जाति या धर्म के बाहर विवाह कर रहे व्यक्तियों की हत्याएं और उनके विरुद्ध किए जाने वाले अन्य गंभीर अपराध या जिनत विद्वे-1 और जाति या गोत्र के आधार पर उनके सगे-संबंधियों या समुदाय के एक वर्ग को अपहानि कारित करने की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिन्ता के वि-1य हैं । ऐसे लोग जो प्रत्यक्षतः हिंसा या हत्या के वास्तविक कार्यों में लिप्त होते है, या तो समुदाय के भाग हैं या लोगों का वर्ग हैं और आपत्तिजनक

विवाहों की दशा में संबद्ध कुटुम्ब के सदस्य भी सिम्मिलित हो सकते हैं। प्रायः ऐसी घटनाओं और अपराधों का आरंभ में संज्ञान भी नहीं लिया जाता। जाति समूहों और सभाओं की दबंग स्थिति और शक्ति अन्वेनक और अभियोजक अभिकरणों को शांत कर देती है या कुचल देती है। जहां तक जाति या समुदाय पंचायतों का संबंध है, यह समाज की आम समस्याओं को दूर करने या स्थानीय निवासियों और कुटुम्बों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को परामर्श द्वारा रोकने में सिक्रय भूमिका निभाती है, इन ग्राम के बुजुर्गों और पंचायतदारों के मिशन और कार्य की प्रशंसा की जा सकती है; किन्तु, यदि वे अपनी सीमा पार करते हैं जैसा यह प्रायः होता है, विवाह से संबंधित मामलों में अपना विनिश्चय थोपती हैं और नवयुवकों विधिसम्मत विकल्पों में हस्तक्षेप करती हैं और उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों में लिप्त होती हैं तो संवैधानिक मूल्यों से युक्त हमारी प्रगतिशील लोकतांत्रिक राज्य शासन में विधि मूक दु-टा नहीं बनी रह सकती।

जैसा कि पहले कहा गया है, सगोत्र या अपनी जाति/धर्म के बाहर विवाह करने वाले या विवाह करने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं सावधिकतः प्रकाश में आती रहती हैं। यह पता चला है कि प्रतिशोध या क्रमिक प्रभावों के भय से अधिकांश मामले उजागर ही नहीं होते हैं । प्रायः यह प्रकाश में आता है कि इन अपराधों और अन्य संबंधित घटनाओं के होने के कारण 'खाप पंचायत', 'कटटा पंचायत' आदि के नाम से जाति/समुदाय सभाओं के हस्तक्षेप से जीवन और स्वतंत्रतता के गंभीर परिणाम होते हैं । जाति आधार पर एकत्र ये सभाएं स्वयं 'आपत्तिजनक' विवाहों पर विचार करने और घो-ित करने की शक्ति और प्राधिकार ग्रहण कर लेते हैं और जीवन तथा स्वतंत्रता की लगभग बिलकुल परवाह नहीं करते तथा न्याय प्रशसन की प्रक्रियाओं से भी भयभीत नहीं होते । दंड विधि ऐसी जाति सभाओं के विधिविरुद्ध कार्यों पर प्रत्यक्षतः लागू नहीं होती और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है । इसी बीच निर्दो-। नवयुवकों को सताया जाता है और उत्पीड़ित किया जाता है और ऐसी सभाएं अबाधित प्राधिकार का प्रयोग करती रहती हैं तथा ऐसा लगता है कि ये सभाएं स्वयं को किसी सामाजिक नियंत्रण के अधीन लाने वाले किसी सुझाव का भी विरोध करती हैं ।

- 2.3 खाप पंचायतों का घातक आचरण और इसी प्रकार विधि को अपने हाथों में लेना, सगोत्र तथा अन्तर-जातीय विवाहों की अविधिमान्यता और अनौचित्य पर निर्णय सुनाना तथा नव जोड़ों को दंड देना और कुटुंब के सदस्यों को किसी भी तरह उनके निर्णय को नि-पादित करने का दबाव डालना विधिसम्मत नियमों के खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण और प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वंत्रता पर आक्रमण की कोटि में आता है।
- 2.4 पुराने समय में चाहे जो भी धारणा रही हो, सगोत्र विवाह विधि द्वारा प्रति-िद्ध नहीं है । हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1946 का अधिनियमन इस बाबत किसी शंका को दूर करने के लिए किया गया था । अधिनियम ने अभिव्यक्ततः उसी जाति के उसी 'गोत्र' या 'प्रवर' या भिन्न-भिन्न उप-विभाजनों के हिन्दुओं के बीच विवाह को विधिमान्य घो-ित किया था । हिन्दू विवाह अधिनियम सगोत्र या अन्तर-जातीय विवाह को प्रति-िद्ध नहीं करता ।
- 2.5 ग्राम के बुजुर्गों या कुटुम्ब के बुजुर्गों की धारणा को इच्छुक जोड़ों पर थोपा नहीं जा सकता है और किसी को समुदाय सम्मान या कुटुम्ब सम्मान की रक्षा के नाम पर बल का उपयोग करने या दूर-गामी अनुशास्ति अधिरोपित करने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसी सूचना है कि सभी या कुछ पंचायतदारों या उनकी मौनानुकूलता से तथाकथित पथभ्र-ट जोड़ों के विरुद्ध सगे नातेदारों या कुछ तीसरे पक्षकारों द्वारा सदो-। पिररोध, सतत प्रपीड़न, मानसिक यातना, कठोर शारीरिक क्षति समेत कठोर कार्रवाई का अवलंब लिया जाता है । प्रायः नव जोड़ों, कुटुम्बों और स्थानीय निवासियों के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले सामाजिक बहि-कार और अन्य अवैध अनुशास्तियों का अवलंब लिया जाता है । सार्वजनिक व्यवस्था आयामों पर भी ऐसे सभी कार्यों का संचयी प्रभाव पड़ता है ।
- 2.6 अरुमुगम सेरवई बनाम तिमलनाडु राज्य [(2011)6 एस. सी. सी. 405 में प्रकाशित] के हाल ही के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधि को अपने हाथों में लेने और ऐसे घृणात्मक क्रियाकलापों में लिप्त होने की खाप/कट्टा पंचायतों के आचरण की निन्दा की जो अपनी इच्छा से विवाह कर रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालते हैं। लता सिंह बनाम उ. प्र. राज्य [(2006) 5 एस. सी. सी. 475] के एक अन्य मामले

में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया और इस प्रकार निदेश दिया:

"यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिससे भी चाहे विवाह कर सकता है/कर सकती है । यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अन्तरजातीय या अन्तर-धार्मिक विवाह को अनुमोदित नहीं करते तो अधिक से अधिक वे यह कर सकते हैं कि पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध तोड़ लें किन्तु वे हिंसा के कार्यों की धमकी नहीं दे सकते या हिंसा नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते और ऐसे व्यक्ति को तंग नहीं कर सकते जो ऐसा अन्तरजातीय या अन्तर धार्मिक विवाह करता है । अतः, हम निदेश देते हैं कि संपूर्ण देश का प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी इस पर नजर रखें कि यदि कोई लड़का या लड़की जो वयस्क हैं ऐसे महिला या पुरु-। जो वयस्क हैं के साथ अन्तर जातीय या अन्तर धार्मिक विवाह करता है तो किसी के भी द्वारा जोड़े को तंग न किया जाए न ही उसके साथ हिंसा की जाए या हिंसा की धमकी दी जाए और यदि ऐसा कोई जो स्वयं या उसके उकसाने पर ऐसी हिंसा के कार्यों की धमकी देता है या तंग करता है या हिंसा करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित की जाए और विधि के उपबंध के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई की जाए । कभी-कभी हम ऐसे व्यक्तियों की सम्मानवश हत्या की बात भी सुनते हैं जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से अन्तरजातीय या अन्तर धार्मिक विवाह करते हैं । ऐसे हत्याओं में कुछ सम्मानजनक नहीं है । वस्तुतः यह कुछ नहीं बल्कि यह ऐसे क्रूर सामन्तवादी विचार वाले लोगों द्वारा किया गया हत्या का बर्बरतापूर्ण और शर्मनाक कार्य है जो कठोर दंड के पात्र हैं। केवल इस तरह ही हम ऐसे बर्बरतापूर्ण कार्यों को समूल न-ट कर सकते き "

2.7 ऐसी हत्या जिसे "सम्मानवश हत्या" कहा जाता है, को भा. दं. सं. की धारा 300 के अधीन लाने और सबूत का भार अभियुक्त पर परिवर्तित करने को सम्मिलित करने के प्रस्तावित संशोधनों के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इन प्रस्तावों पर अध्ययन किया गया । अनौपचारिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के विचारों को भी सुनिश्चित किया

गया है । इन और विधि के कतिपय अन्य मोडलों की प्रारंभिक परीक्षा करने के पश्चात्, प्रस्तावित विधि की अवसरंचना तैयार की गई है और परामर्श पत्र में उपाबद्ध है । तैयार किए गए प्रारूप विधेयक के साथ परामर्श पत्र उपाबद्ध 2 पर है । इसके प्रतिनिर्देश से आम जनता के विचार आमंत्रित किए गए थे । हम प्राप्त उत्तरों और उस पर आयोग के विचारों का उल्लेख करेंगे । आगे विचार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रारूप विधान का थोड़ा सुधार किया गया है । विधि आयोग द्वारा अब प्रस्तावित विधेयक उपाबद्ध 1 पर है ।

- प्रारूप विधेयक के उपबंधों की धारणा यह है कि अपनी पसंद के अनुसार विवाह कर रहे विवाह योग्य आयु के नवयुवकों के आचरण पर आपत्ति करने और निन्दा करने के प्रयोजन के लिए समूह या जमाव की आरंभ में ही रोक होनी चाहिए, यदि आपत्ति का आधार यह हो कि वह एक ही गोत्र या भिन्न-भिन्न जाति या समुदाय के हैं । पंचायतदार या जाति के बुजुर्गों को ऐसे नव जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके विवाह विधि द्वारा अनुज्ञात है और वे ऐसी स्थिति नहीं पैदा कर सकते जिसके द्वारा ऐसे जोड़ों के विरुद्ध संबद्ध ग्राम/इलाके में विरोधी वातावरण पैदा हो जाए और सुरक्षा का जोखिम हो जाए । ऐसे निरंकुश कार्यों से सामाजिक तनाव और वैमनस्य भी पैदा होने की प्रवृत्ति होती है । जहां तक ऐसे विश्वास सही और गलत के प्रवर्तन के अभिकर्ता के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं. सामाजिक क्रम परंपरा पर आधारित कोई मनोवृत्ति या विश्वास सामाजिक नियंत्रण और विनियम से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकती । विधि विरुद्ध प्रयोजन अर्थात् ऐसे विवाह को अननुमोदित करने जो अन्यथा विधि की सीमाओं के भीतर है और पारिणामिक कार्रवाई करने के लिए जमाव को अपराध माना जाना चाहिए क्योंकि इससे संबद्ध व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा पैदा होने की संभावना है । ऐसे जमाव का उद्देश्य अन्य लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की अवहेलना पर आधारित है और ऐसे आचरण से दंड विधि द्वारा पर्याप्त रूप से निपटा जाएगा । दू-प्रेरण और -ाड्यंत्र सहित अपराधों के किए जाने के लिए साधारण दंड विधि के अधीन अभियोजन द्वारा पूर्वधारणा के बिना चलाए जाने वाला यह कार्य है।
- 2.9 व्याप्त सामाजिक वातावरण और ऐसी जाति समूहों की सशक्त पृ-ठभूमि जो माता-पिता और नातेदारों पर 'दो-ी' जोड़ों को दंडित करने के

लिए किसी सीमा तक घोर दबाव डालते हैं जिससे कि समुदाय का सम्मान कायम रखा जा सके, इस मूल समस्या से निपटना आवश्यक हो गया है । अंधविश्वास और सत्तावाद से जकड़े इस सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिभास से प्रभावी रूप से निपटने के किसी प्रयास को स्वयं विभिन्न कारकों और आयामों अर्थात् समस्या की प्रकृति, विद्यमान विधि की पर्याप्तता और जाति समूहों की शक्ति और आचरण को नियंत्रित करने के लिए दंड का उपयोग करने की प्रज्ञा और अनुशास्ति के अन्य उपायों को समझना होगा । वर्तमान विधि ऐसी जाति समूहों और जमाव पर निवारक या मर्यादित प्रभाव के रूपमें कार्य नहीं करती जो स्वयं को विधि की परिधि के बाहर मानते हैं । जाति परिनदों या पंचायतों के सदस्यों का सामाजिक-सांस्कृतिक दृन्टिकोण इस प्रकार है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायता का न्यूनतम या तनिक भी सम्मान नहीं करते ।

3. प्रस्तावित विधेयक के मुख्य लक्षण

हमें व्यापक तौर पर प्रस्तावित विधान का सामान्य खाका और मुख्य लक्षण उपदर्शित करना चाहिए । यह निश्चित तथ्य कि जाति या समुदाय पंचायतों का सशक्त प्रभाव और विवाह करने वाले जोड़ों की पसंद की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में उनके द्वारा निभायी गई आक्रामक भूमिका सम्मान संबंधित अपराधों की मूल जड़ है इसलिए, पंचायतों के सदस्यों द्वारा ऐसे अनापेक्षित हस्तक्षेप को नियंत्रित किया जाना चाहिए । खाप पंचायत जैसे निकायों के सदस्यों की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर रहे जोड़ों को असुरक्षा और दुगर्ति की दशा से गुजरना पड़ता है । उनका जीवन और स्वतंत्रता "खतरे में" पड़ जाती है क्योंकि वे धमकी और सामाजिक-आर्थिक वंचन के प्रभाव में आ जाते हैं । जोड़े के सगे कुटुम्ब सदस्यों को भी पंचायतों/परि-ादों के ऐसे अनौपचारिक निकायों के फरमानों को प्रवृत्त कराने के लिए सामने लाया जाता है । इससे सम्दाय और ग्रामों का पारिवारिक जीवन सीधे प्रभावित होता है और तद्द्वारा सामाजिक व्यवस्था और शांति को खतरा पैदा होता है । क्योंकि पंचायतदारों या जाति के 'बुजुर्गों' को उनके स्वधारित तंत्र और इन मामलों में प्रभाव को नियंत्रित करने से निर्निहित करने की आवश्यकता है, इसलिए, विभिन्न बातों को संतुलित करते हुए विवेचन के पश्चात यह विधेयक तैयार किया गया है । यह प्रस्तावित है कि किसी आशयित विवाह या नवजोड़े के आचरण को अननुमोदित करने के प्रयोजन से एकत्रित समूह या जमाव के विरुद्ध आरंभ

से ही रोक लगाया जाना चाहिए और पंचायतदारों के इस आपत्तिजनक आचरण को दंड विधि की परिधि के भीतर लाया जाना चाहिए । ऐसे जमावों को रोकने वाले निवारक उपबंध और ऐसे जमावों में भाग लेने पर दंडित किए जाने को भी सम्मिलित किया गया है ।

ऐसे जमावों के आयोजन और संचालन को विधि के अधीन विधि विरुद्ध और दंडनीय ठहराते हुए उससे संबंधित किए गए अपराधों के लिए पारिणामिक दंड उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है । दो धाराओं का पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है अर्थात, धारा 3 जो स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों को दंडनीय बनाती है, जिसे धारा में भी विशे-ीकृत किया गया है । अन्य धारा अर्थात धारा 4 जमाव के अवैध विनिश्चयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों या अन्यों द्वारा आपराधिक अभित्रास के बारे में है । आपराधिक अभित्रास के ऐसे कार्य जो साधारण विधि अर्थात भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय हैं, को विधि विरुद्ध जमाव के उन सदस्यों को अधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से विनिर्दि-ट रूप से पुरः स्थापित किया गया है । अन्य दंड उपबंधों और उपरोक्त निर्दि-ट स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है और न ही दंड संहिता के उपबंधों के अधीन लाया गया है । किसी भी दशा में, भा. दं. सं. के उपबधों का अवलंब लेने के बारे में संदेह की गुंजाइश नहीं है । तथापि, अधिनियम के तीन दंड उपबंधों के अधीन न आने वाले अन्य आपराधिक कृत्यों से अब भी दु-प्रेरण और नड्यंत्र से संबंधित उपबंधों समेत दंड संहिता के उपबंधों के अधीन निपटा जाएगा । उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, लक्ष्यित जोड़े या उनमें से एक या उनके नातेदारों के विरुद्ध घोर उपहति का अपराध करता है या दु-प्रेरण करता है तो भा. दं. सं. के उपबंध लागू होंगे । इसलिए यह स्प-ट करने के लिए धारा 5 सम्मिलित की गई है कि प्रस्तावित विधेयक की धारा 2, 3 और 4 के उपबंध भा. दं. सं. के उपबंधों के प्रतिकृल नहीं हैं । पर्याप्त निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, यह देखते हुए कि ऐसे दंड में आनुपातिकता को तत्व हो, आज्ञापक न्यूनतम दंड विहित किया गया है। इन दंड उपबंधों के अलावा, निवारक उपाय करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या एस.डी.एम. को सशक्त करने हेतु विनिर्दि-ट धारा प्रस्तावित हैं और विवाह कर रहे जोड़े या उनके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा उनके समक्ष रखी गई जानकारी पर ध्यान देने की और उन्हें आवश्यक संरक्षण देने की अतिरिक्त बाध्यता उन पर अधिरोपित की गई है । विधि विरुद्ध जमाव

(जाति पंचायत, आदि) को रोकने या लाक्ष्यित जोड़े को संरक्षण देने के लिए आवश्यक कदम उठाने में उनकी ओर से असफलता या लोप के लिए अधिकारियों को जबावदेह बनाया गया है । यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपराधों का विचारण सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षतावाले जिले के सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा । विशेन न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर बाद में पुनर्विलोकन किया जा सकता है । अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं।

3.3 यथासंभव, भा. दं. सं. के उपबधों की अतिव्याप्ति को दूर किया गया है । यद्यपि, पहली नजर में, यह प्रतीत हो सकता है कि विधि विरुद्ध जमाव का अपराध भा. दं. सं. की धारा 141 में जो हम पाते हैं. उससे अधिक कुछ नहीं है । यह इंगित करने की आवश्यकता है कि प्रस्तावित विधेयक द्वारा अनुध्यात तरह का विधिविरुद्ध जमाव विशुद्धतः उक्त धारा की व्याप्ति के भीतर नहीं आता । भारतीय दंड संहिता के अधीन 'विधिविरुद्ध जमाव' के तत्व प्रस्तावित विधेयक की धारा 2 द्वारा अनुध्यात विधिविरुद्ध जमाव के तत्व एक जैसे नहीं हैं । फिर भी, भा, दं, सं, के अधीन विधि विरुद्ध जमाव के लिए विहित दंड से अधिक दंड का प्रावधान धारा 2 के अधीन विहित किया गया है । जैसाकि पहले ही स्प-ट किया गया है, जहां तक आपराधिक अभित्रास वाले धारा 4 का संबंध है, यह धारा इस विधेयक के अर्थान्तर्गत विधिविरूद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा आपराधिक अभित्रास के कार्यों के मामले में अधिक दंड का उपबंध करने की दृ-िट से सम्मिलित की गई है । इस प्रकार, यह आशा की जाती है कि भा. दं. सं. के अधीन उपबंधों के साथ मिलकर प्रस्तावित विधेयक असहाय नवदंपतियों और उनके कुटुम्बों के विरुद्ध की जाने वाली घृणात्मक कार्रवाइयों और प्रबल सामाजिक अनुशास्ति की धमकाने वाली प्रवृत्ति का प्रभावी रूपसे सामना करने में समर्थ होगा ।

4. विकल्प और स्वतंत्रता की स्वायतत्ता – संरक्षणात्मक मूल्य

4.1 प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं अपनी निजी पसंद और अपना विनिश्चय करने की स्वतंत्र और इच्छुक स्वायत्तता अब सामुदायिक व्यवस्था और संगठन के चिन्तन पर केन्द्रित है । इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि विविध आयामों वाली ऐसी स्वायता एक संवैधानिक संरक्षित

मूल्य है और खुले समाज और सभ्य व्यवस्था पर केन्द्रित है। व्यक्ति की भलाई के अभिन्न मूल्यों से अनुप्राणित समझ से प्रेरित सम्यक् अर्जित व्यक्तिगत स्वायत्तता का उन्मुक्त समाज व्यवस्था से गहरा संबंध है। व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति अवपीड़न की तब बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी।

- 4.2 सामाजिक परिवर्तन की अवधि में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पिछले सामाजिक आचरणों के बीच तनाव सामुदायिक क्षमता का न्युनतम दुख या दर्द भरा समाधान निकालने हेतु अनुध्यात करने और व्यवस्था करने का केन्द्र-बिन्दु हो जाता है । कतिपय सामुदायिक परिदृश्यों और आचरणों की बुद्धिमत्ता या दो-िता, स्वतंत्रता पर उनका अंतनिर्हित प्रभाव, स्वायत्तता और स्व-योग्यता तथा आवेगी और लापरवाह प्रकृति के पसंद पर माता-पिता की चिन्ता ये सभी विचारार्थ प्रमुख कारक हैं ।
- 4.3 तथापि, समुदाय के ऐसे प्रभावशाली सदस्य जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के विरोधी है, से सम्मान प्रेरित हिंसा प्रतिक्रिया के नाम पर दमनात्मक सामाजिक आचरणों की धमकी भरी संवृत्ति की समस्या है । प्रश्न यही है कि इससे कैसे अच्छी तरह से निपटा जाए । इस संदर्भ में, ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए विधि की उपकरणात्मक भूमिका का महत्व बढ़ जाता है । इस रिपोर्ट में प्रस्तावों को लाने का दृ-टिकोण ऐसे आचरण पर अधिक ध्यान देना है जो जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाते है और स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर सम्य बनाने की धारण को उजागर करते है ।
- 4.4 आधुनिक आपराधिक विधि का सर्वोच्च लक्ष्य सतत् सामाजिक संरक्षण प्रदान करना रहा है । आपराधिक दंड गैर-अनुपालन के लिए गंभीर शास्तियों की धमिकयों के साथ बर्ताव के सामाजिक के रूप से स्वीकार्य नियमों का पालन करने की लोगों को प्रेरित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से प्रारूपिकतः ऐसा सरंक्षण प्राप्त करता है । "दंड ऐसे हथियार का प्रयोजन पूरा करता है जो समाज इसे ऐसे आचरण को रोकने के लिए प्रयोग करता है जो उसके हितों को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान

पहुंचाने की धमकी देता है 1।" वृहत्तम सामाजिक हितों या सामुदायिक मूल्यों का निर्धारण थोड़े से ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जिनके विश्वास संविधान और विधियों के बिल्कुल विपरीत अंधविश्वास और हठधर्मिता पर आधारित हैं।

तथाकथित पंचायतें या लोगों की सभाएं कतिपय सामान्य परिदृश्यों और मूल्यों द्वारा जकड़े और एक दूसरे से जुड़े लोगों का एक वर्ग है। जाति इस गुलामी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इन पंचायतों का नेतृत्व उपलब्ध और सामाजिक या राजनैतिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए, जाति संबंधों, विवाह, आदि के प्रश्नों पर उनके निदेश विकट है । विभिन्न जाति समूहों का अपना निजी संयोजन है । जहां ये जनसभाएं कतिपय मूलभूत सांस्कृतिक लोकरीतियों को संरक्षित करने में कुछ भूमिका निभा रही हैं वहीं ऐसे व्यक्तियों का जीवन और स्वतंत्रता जो उनके विचारों और मूल्यों का पालन नहीं करते, को जोखिम में डालने की उनकी विसामान्य भूमिका को माफ नहीं किया जा सकता और इससे प्रत्यक्षतः निपटने और निश्चय ही विधि के वि-ायों के अधीन लाने की आवश्यकता है । संवेदनशील लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावशाली और प्रभुत्व वाले जाति परि-ादों और ऐसे अन्य समूहों की दया पर छोड़ देना अबुद्धिमत्तापूर्ण और सामाजिक रूप से गलत होगा जिनके समादेशों और विनिश्चयों को कुटुम्ब और समुदाय के सदस्यों द्वारा आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती । विधि का लक्ष्य जाति/समुदाय पंचायतों की पथभ्रमित शक्ति और प्रभावशाली स्थिति का विरोध करना होना चाहिए जहां तक वे अवपीड़न और अभित्रास के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं । व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सम्मान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और विधि द्वारा ऐसी सभाओं या समुहों की मान्य शक्ति से समुचित रूप से निपटना होगा ।

5. क्या 'सम्मानवश हत्या' को भा. दं. सं. की धारा 300 में सम्मिलित किया जाए :

5.1 आयोग का यह मत है कि भा. दं.. सं. की परिधि के भीतर

गारफीडल, लेसीयालोफ, एसोसिएट प्रोफेसर, पेस विश्वविद्यालय स्कूल आफ ला
 (1998) द्वारा "उपेक्षा के अपराधीकरण का अतिसैद्धांतिक सोच : विधानमंडल का चिरभोग" लेख देखें ।

तथाकथित ''सम्मानवश हत्या" को लाने के लिए उपबंध सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । भा. दं. सं. के विद्यमान उपबंध ऐसे लक्ष्यित व्यक्ति जिन्होंने अभिकथित रूप से जाित या समुदाय के सम्मान को कम किया, की हत्या करने या शारीरिक अपहािन कारित करने के प्रकट कार्यों की स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं । किसी व्यक्ति की हत्या करने का हेतु धारा 300 में पृथक उपबंध सम्मिलित करने का कोई वास्तविक औचित्य प्रस्तुत नहीं करता जैसा प्रस्तावित सरकारी विधेयक (समाचार पत्रों में यथा प्रकािशत) के अधीन किया जाना अनुध्यात है । संभवतः, ऐसे खंड का परिवर्धन परिहार्य भ्रम और निर्वचनात्मक कठिनाइयां पैदा कर सकता है ।

6. सबूत का भारत

इसके अतिरिक्त, हत्या, आदि या उसके दु-प्रेरण के गंभीर अपराध वाले मात्र अभियोगों से जूझ रहे अभियुक्त पर भार परिवर्तित करना वांछनीय नहीं है । ऐसा प्रस्ताव हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में स्वीकृत और आमेलित न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकृल होगा । तार्किक रूप से, यदि सबूत के भार को ऐसे मामले में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसा अनेक अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में भी करना होगा । एक समग्र दृ-िटकोण की आवश्यकता है और तात्कालिक स्थितियों से निपटने के लिए आपराधिक प्रक्रिया की सख्ती को आमूल-चूल रूप से विस्तार करने के किसी प्रयास का विपरीत प्रभाव हो सकता है । ऐसे प्रबल उपबंध को सम्मिलित करने से बचने की आवश्यकता है । इसके विकल्प के रूप में, आयोग का प्रथमदृ-टया यह मत है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड 3 और 4 में प्रतिनिद्ध कार्यों के कार्य की बाबत उपधारणा की जा सकती है कि क्या वह विवाहित या विवाह करने के आशयित नव जोड़े के विशुद्ध विधिक आचरण की चर्चा करने और निंदा करने के प्रयोजन के लिए बुलाए गए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है । यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि जमाव के एक या अधिक सदस्यों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिकाओं के पहचान के कार्य को पूरा करना कठिन है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उद्घाटित करने के इच्छुक नहीं होंगे और पारिस्थितिक साक्ष्य दो-ी व्यक्ति को फंसाने के लिए बहुत पर्याप्त नहीं होगा । ऐसी स्थिति में, खंड 6 द्वारा यथापरिकल्पित उपधारणा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी ।

दंड विधि प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों के सबूत को संचालित करती है । अनुमान और तर्क के सिद्धांत सब्त के दोनों तरीकों में अंतवर्लित है । साक्ष्य से संबंधित परिनियम कतिपय अपराध स्थितियों में साक्ष्य की नैसर्गिक अनुपलब्धता या कमी की समस्याओं का सामना करने में लगे हैं । प्रायः उपधारणाएं इन अन्तरालों को भरने के लिए तर्क के औजार के रूप में उभर रही हैं । उपधारणाएं ऐसी परिस्थितियों में कारण-प्रभाव संबंधों का उल्लेख करती हैं । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि कारण की कड़ी इतनी दुर या इतनी कमजोर न हो । साधारणतः उपधारणाएं सबूत के भार की स्थिति को प्रभावित नहीं करती किन्तु केवल साक्ष्य के भार या कार्य के भार को परिवर्तित करती हैं । ऐसी उपधारणा जो वर्तमान समस्या के संदर्भ में उत्कृ-टतः उपयुक्त है, को प्रस्तावित विधेयक की धारा 6 में शामिल किया गया है । यह इस आशय की उपधारणा पैदा करता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सहभागियों का आशय उनके द्वारा लिए गए अवैध विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक की धारा 3 और 4 के अधीन दंडनीय अपराध करना और दु-प्रेरित करना था । ऐसी उपधारणा साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करेगी । सम्मिलित की जाने वाली प्रस्तावित उपधारणा इस प्रकार है :

> यह उपधारित किया जाएगा कि किसी विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आशय अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन अपराध करना या करने का दु-प्रेरण करना भी है।

- 6.3 इस प्रकार, धारा 3 और 4 के अधीन प्रकट कार्यों की बाबत यह उपधारणा लागू होगी । विभिन्न परस्पर विरोधी विचारों के उचित संतुलन पर हम महसूस करते हैं कि यथा उपरोक्त उपधारणा समुचित और प्रभावी होगी ।
- 6.4 सबूत के भार के मामले में, आयोग यह महसूस करता है कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के उपबंधों की सादृश्यता करना एक से अधिक कारणों से उचित नहीं है। 'सती' एक बर्बरतापूर्ण और स्थापित सामाजिक बुराई है जो देश के कतिपय भागों में व्याप्त है। उस बुराई की महत्ता और गंभीरता की तुलना इस समस्या से नहीं की जा सकती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 'सती' का अपराध हमेशा इससे जुड़े अनु-ठानों

और समारोहों से युक्त एक सार्वजनिक कार्य रहा है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को कठिनाई के बिना पहचाना जा सकता है। ऐसे मामलों में अभियोग ठोस साक्ष्य पर आधारित होते हैं।

7. सम्मानवश हत्या विधेयक : उत्तर और सुझाव

- 7.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आयोग को कुछ राज्य सरकारों, विधि विश्वविद्यालयों और अन्य से उत्तर प्राप्त हुए हैं । ऐसे व्यक्तियों/संगठनों की सूची उपाबंध 3 में है जिनसे उत्तर प्राप्त हुए हैं । आयोग प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों का आलोचनात्मक विश्ले-ाण प्रस्तुत करने और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए पश्चिमी बंगाल रा-ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रयास की प्रशंसा करता है । आयोग ने एमिटी ला स्कूल, नोएडा के संकाय के सुझावों पर भी विचार किया । किसी भी उत्तर में सिद्धांततः आयोग के प्रस्तावित सिफारिशों और प्रारूप विधेयक का विरोध नहीं किया गया है । उनमें से कुछ सुझावों पर विचार किया गया और उचित समझे गए विस्तार तक प्रारूप विधेयक में परिवर्तन किए गए हैं ।
- 7.2 एक मुख्य सुझाव यह है कि विधि द्वारा अप्रतिनिद्ध विवाह संबंधी संबंधों को भी प्रारूप विधेयक के खंड 2 में आने वाले "विवाह" शब्द के अर्थान्तर्गत सम्मिलित किया जाए । इसका यह अर्थ है कि संबंधजात सहवास को भी सम्मिलित किया जाए और ऐसे संबंधों में रह रहे व्यक्तियों को विधि का संरक्षण प्रदान किया जाए । पहली नजर में, यह सुझाव स्वीकार किए जाने योग्य हो सकता है किन्तु यह महसूस किया गया कि इस विधि की व्याप्ति के अधीन ऐसे संबंध को लाने से इसकी प्रभाविता में असम्यक् कमी आ सकती है और विभिन्न क्षेत्रों और आयामों से विरोध/और अननुमोदन की संभावना है । इस समय, हमारे देश की विवाह विधियां संबंधजात सहवास संबंधों को विवाह के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करती । जब तक विवाह के क्षेत्र की अधि-ठायी विधि उस प्रश्न के संबंध में व्यापक रूप से विचार नहीं करती तब तक इस समय ऐसी प्रस्तावित विधि की व्याप्ति के भीतर ऐसे संबंधों के लाना उपयुक्त नहीं है जिसका उद्देश्य पूर्णतः विधिक विवाहों के संबंध में भी ग्राम सभाओं के अनापेक्षित हस्तक्षेप की जड़ को समूल न-ट करना और व्यक्तियों के स्वतंत्रता अधिकारों और स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण सामाजिक परिदृश्य सृजित करना है । एक अन्य सुझाव यह है कि कुटुम्ब के सदस्यों के अनुरोध पर बलात विवाह को भी

प्रस्तावित विधि की परिधि के भीतर लाया जाना चाहिए । बलात विवाहों की समस्या का भिन्न आयाम है क्योंकि खाप पंचायतों और इसी प्रकार के सदस्य वहां सामने नहीं आते । साधारण दंड विधि और बाल विवाह (प्रति-भ्रेध) अधिनियम की परिधि के भीतर प्रभावी रूप से उन पर ध्यान दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यह महसूस किया गया है कि व्यक्तिगत कुटुम्ब सदस्यों/नातेदारों के घृणात्मक आचरण को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित विधि की व्याप्ति को बढ़ाने से प्रस्तावित विधि की सत्यिन-ठा समाप्त हो जाएगी जहां तक इसका लक्ष्य वि-ाय पर विद्यमान आपराधिक विधि के संपूर्ण वि-ाय को पुनः स्थापन या प्रतिस्थापित करना है ।

- 7.3 एक अन्य टिप्पणी जिस पर भी सम्यक् विचार किया जाना चाहिए, यह है कि समूहों के कार्यों के अपराधीकरण और दंड पर केन्द्रण स्वयं रि-टि और निवारण/संरक्षण पहलुओं का उपशमन करने में समर्थ नहीं होगा । तथापि, यह ध्यातव्य है कि यथापुनर्निर्मित प्रस्तावित विधेयक निवारक तत्व पर बल देने के साथ दंड विधि की परिधि के भीतर जाति सभाओं के निरंकुश कार्यों पर लगाम लगाने के इन सभी पहलुओं के बारे में हैं, जो ऐसी मांग है जिस पर विद्यमान बुराई से लड़ने के लिए सम्यक् पूर्विकता दिए जाने की आवश्यकता है।
- 7.4 रा-ट्रीय महिला आयोग ने "सम्मान और परम्परा के नाम पर अपराध का निवारण" शीर्नक वाला एक विधयेक का प्रारूप तैयार किया है । विधयक चिन्तन में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित विधि के निकट है । यह कितपय निनेधात्मक और दंड उपायों का सुझाव देता है । यह महिला या उसके भागीदार को कारित उत्पीड़न, आदि के कार्यों को दंडित करने के अलावा संरक्षण चाहने के उपाय के रूप में संबद्ध जोड़े द्वारा आशयित विवाह की घोनणा को लेखबद्ध करने का उपबंध करता है । तथापि, इसमें विधिवरुद्ध सभाओं और उनके दोनपूर्ण प्रभावों के बारे में सीधे फोकस की आवश्यकता और वांछनीयता का अभाव है । इसके अतिरिक्त, साधारण विधि के अधीन अपराधों को भी उक्त विधेयक में सम्मिलित किया गया है । किन्तु, उस विधेयक में अंतर्वि-ट कितपय पहलुओं को प्रस्तावित विधि में सफल रूप से समावि-ट किया गया है ।
- 7.5 रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने अपने गृह विभाग के माध्यम से विधि विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणियों को अग्रेनित

किया है । उजागर किया गया मुख्य बिन्द् यह है कि चूंकि विधिविरुद्ध जमाव भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत आता है और भा दं. सं. की धारा 506 आपराधिक अभित्रास का उपबंध करती है इसलिए प्रस्तावित विधि की कोई आवश्यकता नहीं है । उसमें आगे यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के आवश्यक संशोधन से हम स्थिति से निपट सकते हैं । इन मतों पर विचार किया गया । वस्तुतः, प्रस्तावित विधि का प्रारूप तैयार करते समय उन पर विचार किया गया, ध्यान में रखा गया । भा. दं. सं. की धारा 141 का पांचवां खंड अकेले प्रस्तुत वि-ाय के कुछ समतुल्य है । फिर भी, उस खंड का झुकाव "किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना है जिसे करने के लिए वह विधितः आबद्ध नहीं है या करने से लोप करना जो वह विधितः करने का हकदार है" आचरण को अधीन लाना है । यह संदेहास्पद है कि प्रस्तावित विधेयक द्वारा अनुध्यात प्रकृति का विधि विरुद्ध जमाव धारा 141 के अंतर्गत आता है । इसके अलावा, प्रस्तावित विधि का आशय स्थानीय निकायों या जाति सभाओं के आचरण पर विचार करना है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की अवज्ञा में कार्य कर रहे ऐसे संगमों के अविवेचित प्रकोप को समाप्त करना है । अतः अधिक प्रभावोत्पादकता के उपाय के रूप में विधि विरुद्ध जमाव के विशे-ा वर्ग के लिए भिन्न दंड का सुझाव दिया गया है । किसी भी दशा में भा. दं. सं. की धारा 141 के साथ पठित धारा 149 (जो सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य कर रहे "विधिविरुद्ध जमाव" के पांच या अधिक व्यक्तियों की परिकल्पना करता है) को प्रभावित न किया जाए । यह वर्तमान विधि द्वारा अनुध्यात से भिन्न स्थितियों को लागू होगा । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मत परिदृश्यों को परिविर्तित करने की बात समझने और स्वतंत्रता और इसके परिक्षेत्रों के संवर्धन में कार्य करने के फोकस जैसा पहले कहा गया है, को तीव्र करने की आवश्यकता में असफल रहा । आयोग इस मत से सहमत होने में असमर्थ है कि दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन प्रस्तावित विधि के आशयित प्रयोजन पूरा करने में समर्थ होंगे ।

7.6 दूसरा उत्तर उड़ीसा सरकार (विधि विभाग) से प्राप्त हुआ है । इस राय के अनुसार, भा. दं.. सं. की धारा 141 और 149 और प्रस्तावित विधि के बीच कुछ अतिव्यापित देखी गई है । पुनः, यह भ्रम अवधारणात्मक संदेह के कारण है । यह दृ-टव्य है कि भा. दं. सं. के उन उपबंधों के साथ मिलाकर इस अधिनियम के उपबंध कुछ क्षेत्रों में एक साथ कार्य कर सकते हैं और वे एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए

सावधानी भी बरती गई है कि सामान्य अपराध विधि के अधीन उल्लिखित अपराध को, यथासंभव, प्रस्तावित विधि की परिधि के भीतर लाया जाए । यह स्प-ट किया गया है कि इस विधि के उपबंध भा. दं. सं. के उन उपबंधों के अल्पीकरण में नहीं है बल्कि उसके परिवर्धन में होंगे । तथापि, आयोग यह स्प-ट करना चाहता है कि आपराधिक अभित्रास के अपराध को इस विधि की परिधि के भीतर लाने का उद्देश्य और कठोर दंड विहित करना है । आयोग का यह मत है कि भा. दं. सं. वैसे ही उपबंध को जोड़ने के बजाय, यह बेहतर है कि सम्मानवश अपराधों से संबंधित इस एकमात्र विधि में ही ऐसे उपबंध अंतर्वि-ट होने चाहिए ।

7.7 मध्य प्रदेश के विधि विभाग से एक और उत्तर प्राप्त हुआ है । कारावास की अवधि की वृद्धि का सुझाव देने के अलावा वह सुझाव दिया गया है कि "क्षमा" ऐसे अभियुक्त को दी जाए जो अभियोजन साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य देने का इच्छुक हो जिससे कि दो-सिद्धि की बेहतर गुंजाइश हो ।

सलाह और जागरूकता

सम्मानवश संबंधी अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए विधान के अलावा, यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि ग्राम समुदायों के लिए सलाह कार्यक्रम आयोजित करने के कदम उठाए जाने चाहिए, उदाहरणार्थ उन्हें यह बताया जाए कि सगोत्र विवाह विधि, धर्म, सदाचार या चिकित्सा विज्ञान के प्रतिकूल नहीं है । आरंभिक प्रक्रम पर, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक इस कार्य को सम्पन्न करने की स्थिति में नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनका कड़ा विरोध होगा और वे आवश्यक विश्वास पैदा करने में समर्थ नहीं होंगे । आध्यात्मिक या धार्मिक नेता या सेवानिवृत्त अधिकारी और राजनैतिक व्यक्तित्व वाले जैसे सम्मानित बुजुर्ग लोग, विधिक व्यवसाय के सदस्य, अध्यापक आदि से ग्राम के समूहों को संबोधित करने और उन्हें वास्तविक स्थिति बताने का अनुरोध किया जा सकता है तथा अंधविश्वास और घृणित परंपराओं को समाप्त करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकारी संस्थानों द्वारा ख्यातिप्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का जोड़े या संतति के स्वास्थ्य और तंदुरस्ती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । साथ ही साथ, सम्मानित व्यक्तियों

और विद्वानों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रवचन का आयोजन किया जाना चाहिए । मीडिया संबद्ध लोगों के मानस को व्यवस्थित करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती है । इसी प्रकार, जिला और तालुक विधिक सेवा निकाय समुचित साधनों द्वारा यह कार्य पूरा कर सकते हैं ।

9. विवाह का रजिस्ट्रीकरण

9.1 ऐसे जोड़े जो विवाह करने का आशय रखते हैं और यहां तक उनके कुटुम्ब के सदस्य जो उनकी इच्छाओं के अनुसार जाना चाहते हैं, के विरुद्ध बाह्य स्रोतों से अनावश्यक तंग किए जाने और उत्पीड़न से बचने के लिए, यह वांछनीय है कि विशेन विवाह अधिनियम के अधीन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए । विवाह करने की नोटिस देने और रिजस्ट्रीकरण की तारीख की बीच समय के अन्तराल को हटा दिया जाए और विवाह के रिजस्ट्रीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को द्रुततर बनाया जाए । अधिवास निर्बंधन को भी हटाया जाए । हमें यह ज्ञात हैं संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित कर भारत सरकार द्वारा विशेन विवाह अधिनियम का संशोधन किया जाना पहले ही प्रस्तावित है । अतः, इस पहलू पर विस्तृत अध्ययन करना और विनिर्दि-ट सिफारिश करना आवश्यक नहीं है ।

10. हाल ही का उच्चतम न्यायालय निर्णय वाला मामला : मृत्युदंड

10.1 इस रिपोर्ट को समाप्त करने के पूर्व, हम उच्चतम न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय को निर्दि-ट करना चाहते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादना अधिकथित करते हुए दूरगामी परिणाम का निदेश दिया गया है कि तथाकथित सम्मानवश हत्या मृत्युदंड पाने योग्य विरल से विरलतम मामलों के वर्ग के अंतर्गत आता है । यह मत व्यक्त किया गया है "यह ऐसे नृशंस, असभ्य बर्ताव के निवारक के रूप में आवश्यक है । ऐसे सभी व्यक्ति जो "सम्मानवश हत्या" करने की योजना बना रहे हैं, को जानना चाहिए कि फांसी का फंदा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है ।" भगवान दास बनाम राज्य (रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) [(2011 6 एस. सी.सी. 396] और अरुमुगम सरवई (पूर्वोक्त) वाले मामले के विनिश्चय एक ही न्यायपीठ द्वारा दिए गए थे । निर्णय की प्रति ऐसे सभी उच्च न्यायालयों को भेजे जाने का निदेश दिया गया था जो इसे सभी

सेशन न्यायाधीश को परिचालित करेगा । इस निर्णय का अनुसरण करते हुए इस समय जैसा समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि तथाकथित सम्मानवश हत्या के मामलों में सभी अभियुक्तों को उ. प्र. और दिल्ली के सेशन न्यायालयों द्वारा मृत्यु का दंडादेश दिया गया । ससम्मान, मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि "सम्मानवश हत्या" के मामलों में मृत्युदंड को नियम बनाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा एकतरफा निदेश उच्चतम न्यायालय के वृहत्तर न्यायपीठों द्वारा दिए गए कई विनिश्चयों अर्थात् **बच्चन सिंह** बनाम पंजाब राज्य¹ और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य² वाले मामलों के आधार पर हमारे दंड न्यायशास्त्र में दृढतः स्थापित सिद्धांतों से विपथित होता है। यह स्थिर विधि है कि गुरुतरकारी और अपशमनकारी परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और बहुत अपवादात्मक और विरल मामलों में ही मृत्युदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड अंतिम आश्रय है । इसके अतिरिक्त, जहां एक से अधिक अभियुक्त होते हैं, भागीदारी और सदोनिता की मात्रा में बहुत अन्तर हो सकता है । इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए । मृत्युदंड बनाम आजीवन कारावास मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के सतत दृ-िटकोण के आलोक में कोई ठोस नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता है । भगवान दास वाले मामले के इस निर्णय से विधि की स्थिति में अनिश्चितता पैदा होना तय है और हम आश्वरत हैं कि निकट भवि-य में, ऐसी प्रतिपादना की शुद्धता की परीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा ।

सिफारिशों का संक्षिप्तांश

संगोत्र, अन्तरजातीय या अन्तरधार्मिक विवाह जो अन्यथा विधिसम्मत हैं, के साथ जाति सभाओं या पंचायतों द्वारा निरंकुश और अनापेक्षित हस्तक्षेप पर नियंत्रण लगाने के लिए, इस विधान का प्रस्ताव किया गया है ताकि विवाहित या विवाह करने के आशयित जोड़ों और

^{1 (1980) 2} एस. सी. सी. 684.

² ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957.

उनके कुटुम्ब के सदस्यों की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों को निवारित किया जा सके । यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसे विवाह/आशियत विवाह या नव जोड़ों के आचरण के अननुमोदित करने के प्रयोजन की सभा या जामव के विरुद्ध आरंभ से ही रोक लगाई जानी चाहिए । ऐसे प्रयोजन अर्थात्, आवश्यक पारिणामिक कार्रवाई करने की दृन्टि से विवाह की निंदा करने के लिए एकत्र होने वाले सदस्यों को विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य समझा जाना चाहिए जिसके लिए आज्ञापक न्यूनतम दंड विहित किया गया है ।

इसी प्रकार, जोड़े या उनके कुटुम्ब के सदस्यों का सामाजिक बिह-कार, उत्पीड़न, आदि सिहत स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले कार्य आज्ञापक न्यूनतम दंडादेश के साथ दंडनीय अपराध माने जाते हैं । विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों उनके इशारे पर कार्य कर रहे अन्य लोगों या अन्यथा द्वारा आपराधिक अभित्रास के कार्यों को भी आज्ञापक न्यूनतम दंडादेश के साथ दंडनीय बनाया गया है ।

यह उपधारणा कि किसी विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने वाले व्यक्ति के संबंध में उपधारित किया जाएगा कि उसका आशय प्रस्तावित विधेयक के अधीन अपराध करने या अपराध का दु-प्रेरण करने का था, से संबंधित उपबंध धारा 6 में किया गया है।

विधिविरुद्ध जमावों को प्रतिनिद्ध करने और निवारात्मक उपाय करने की शक्ति उप-खंड मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है । इसके अतिरिक्त, एस. डी. एम./डी. एम. व्यक्तियों के जमाव या किसी कुटुम्ब के ऐसे सदस्य जिससे विधिसम्मत विवाह का विरोध करने की संभावना है या जो विरोध कर रहा है, से संरक्षण चाहने वाले किसी व्यक्ति से अनुरोध या जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यादि-ट है ।

इस प्रस्तावित विधेयक के उपबंध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है । यथासंभव, यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती गई है कि साधारण दंड विधि के उपबंधों की अतिव्याप्ति न हो । दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित विधेयक के अधीन विनिर्दि-ट रूप से आने वाले कार्यों से भिन्न आपराधिक कार्य साधारण दंड विधि के अधीन दंडनीय है।

अपराध का निवारण जिले के सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा और अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय है।

तदनुसार, विद्यमान सामाजिक बुराई को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रति-ोध विधेयक, 20.. तैयार किया गया है ।

> [न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. वी. रेड्डी] अध्यक्ष

ह0/-न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिव कुमार शर्मा सदस्य ह0/-[अमरजी सिंह] सदस्य

उपाबंध — 1 [रिपोर्ट के पैरा 2.7 का प्रतिनिर्देश]

वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप/प्रति-)ध विधेयक, 2011 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और उत्पीडन का निवारण करने तथा सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का प्रति-ोध करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनु-ांगिक वि-ायों का उपबंध करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के बासठवें वर्न में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-संक्षिप्त 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप/प्रति-ोध अधिनियम. नाम. विस्तार और 2011 हੈ | इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रारंभ सिवाय संपूर्ण भारत पर है। 3. यह उस तारीख को राज्य में प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. (1) व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह, इस आधार पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परंपरा का अनादर हुआ है या जमाव के सभी सदस्यों या भाग गठित करने वाले किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या संबद्ध इलाके के लोगों की ख्याति धूमिल हुई है, किसी समय किसी विवाह पर विचार करने या चर्चा करने या निन्दा करने के आशय से इकट्ठा नहीं होगा, जमाव नहीं करेगा या एकत्र नहीं होगा। स्प-टीकरण : 'विवाह' के अंतर्गत प्रस्तावित या आश्रयित विवाह सम्मिलित होगा। विधिविरुद्ध जमाव

स्प-टीकरण 2: "एकत्र होना", "इकट्ठा होना" या "जमा होना" शब्द के अंतर्गत किसी तकनीकी साधनों या माध्यमों के उपयोग द्वारा सामंजस्य से कार्य करना होगा ।

(2) ऐसे जनसमूह या जमाव या सभा को विधिविरुद्ध जमाव समझा जाएगा और ऐसे जमाव को संचालित या आयोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य छह मास से अन्यून की अविध जो एक वर्न तक हो सकती है, के कारावास से दंडनीय होगा और दस हजार रुपए तक के जूर्माने का भी दायी होगा ।

स्वतंत्रता का खतरा

3. (1) विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो अकेले या अन्य ऐसे सदस्यों के सहयोग से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सलाह देता है, प्रबोधित करता है या दबाव डालता है जिससे कि ऐसे विवाह को रोका या अननुमोदित किया जा सके जिस पर विधिविरुद्ध जमाव के उक्त सदस्यों द्वारा आक्षेप किया गया है, या ऐसे जोड़े या उसमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के प्रति वैमनस्य का वातावरण पैदा करता है, उनकी स्वतंत्रता के खतरे में किया गया कार्य समझा जाएगा और खतरे का ऐसा कार्य एक वर्न से अन्यून की अविध किन्तु जो

दो वर्न तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और बीस हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के इशारे पर कार्य कर रहा या अन्यथा स्वतंत्रता के खतरे के कार्यों में लिप्त कोई अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार दंडनीय होगा ।

स्प-टीकरण: "स्वतंत्रता का खतरा" के अंतर्गत सामाजिक बहि-कार या सामाजिक अनुशास्तियों के प्रवर्तन के लिए सुविचारित कार्य है और विशि-टतया निम्नलिखित कार्य भी है:

- (i) जोड़ों या उनके कुटुम्बों या नातेदारों को ग्राम या निवास क्षेत्र छोड़ने के लिए दबाव बनाना ;
- (ii) किसी ऐसे आचरण में लिप्त होना जो बाजार, सामुदायिक सुविधा, पूजास्थल या जीवन के किसी अन्य आवश्यकताओं की पहुंच में बाधा पहुंचाएगा या बाधा पहुंचाने की संभावना है।
- (iii) जोड़ों या उनके कुटुम्ब को उनकी किसी भूमि या संपत्ति से निर्निहित करना या बेदखल करना । (iv) उत्पीड़न का कोई अन्य कार्य करना चाहे वह शारीरिक या मानसिक हो ।

1860 का 45 4. विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो ऐसे विवाह जिस पर आक्षेप किया जा रहा है, से संबंधित उस जमाव के विधिविरुद्ध विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जोड़े या उनमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के आपराधिक अभित्रास में लिप्त होता है, वह एक वर्न से अन्यून की अविध किन्तु जो तीन वर्न तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और तीस हजार रुपए के जुर्माने से भी दायी होगा परंतु यदि धमकी से भा. दं. सं. की धारा 506 के दूसरे भाग में निर्दिन्ट विवरण

आपराधिक अभित्रास

की अपहानि या क्षित कारित होती है तो अधिकतम दंड तीन वर्न के बजाय सात वर्न के कारावास तक होगा और जुर्माना तीस हजार रुपए तक होगा । स्प-टीकरण : 'आपराधिक अभित्रास' पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में है ।	
5. धारा 2, 3 और 4 के उपबंध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में, और आगे यह स्प-ट किया जाता है कि उपबंधों के अधीन विनिर्दि-ट अपराध किसी अन्य विधि के अधीन किसी तत्समान अपराध के लिए दंड के बावजूद इस अधिनियम के अधीन दंडनीय होंगे।	भा.दं.सं. के उपबंधों का अप्रभावित बना रहना
6. विधि विरुद्ध जमाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन अपराध करने या दु-प्रेरण करने का भी आशय रखने वाला उपधारित किया जाएगा ।	
7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(घ) विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिनेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) अधिनियम, 2011 का कोई उपबंध।"	1951 के अधिनियम 43 का संशोधन
8. कितपय कार्यों का प्रितिनेध करने की शक्ति और प्राधिकारियों का निवारक उपाय करने का कर्तव्य, (क) उपखंड मिजरट्रेट या जिला मिजरट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों के किसी जमाव से संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति या ऐसे किसी कुटुम्ब के सदस्यों से, जिनसे किसी विधिविरुद्ध विवाह पर आपित्त करने की संभावना है या जो आपित्त कर रहे हैं, कोई अनुरोध या जानकारी प्राप्त करेगा । (ख) जहां उपखंड मिजरट्रेट या जिला मिजरट्रेट किसी स्रोत से जानकारी पाता है कि प्रस्तावित या	कार्यों का प्रतिनेध करने और निवारक उपाय करने

संपन्न किसी विवाह को आपत्तिजनक रूप में निन्दा करने के लिए खुले रूप से या गोपनीय रूप से जमाव आयोजित किए जाने की संभावना है तो वह आदेश में विनिर्दि-ट किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए कोई कार्य करने और ऐसे जमाव के आयोजन का, आदेश द्वारा, प्रति-ोध करेगा ।

- (ग) उप खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को समुचित निदेश देने समेत ऐसे कदम उठा सकेगा जो ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो ।
- (घ) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम भी उठा सकेगा जो विधि विरुद्ध जमाव द्वारा लिए गए अवैध विनिश्चय के अनुसरण में लक्ष्यित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
- (ङ) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट संबद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और सुरक्षा का सीधे पर्यवेक्षण करेगा।
- (च) उपरोक्त उपबंधों के निबंधनानुसार कार्य करने के लिए लगाया गया प्रत्येक अधिकारी अपनी चूक, लोप और असफलता के लिए जवाबदेह होगा और राज्य सरकार उपबंध करेगी और उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगी जो वह उसके चूक, लोप या कार्य करने की असफलता के लिए उचित समझे ।

9(1) दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण संबद्ध जिले के जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा पीठासीन सेशन न्यायालय या सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा पीठासीन किसी अन्य सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा जो अधिसूचना

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण

द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दि-ट किया जाए । (2) इस प्रकार अधिसूचित सेशन न्यायालय ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे ऐसा अपराध गठित होता है या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर विचारण के लिए अभियुक्त को सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।	
10 (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अधिसूचित सेशन न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए संहिता के अधीन उसी विचारण में अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबद्ध है।	अपराधों की बाबत सेशन न्यायालय
(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो अधिसूचित न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के लिए भी ऐसे व्यक्ति को दो-सिद्ध कर सकेगा और उस विधि द्वारा प्राधिकृत कोई समुचित दंडादेश पारित कर सकेगा।	
11. दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।	अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना

.

विधि विरुद्ध जमाव का प्रतिनेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक, 2011

[वैवाहिक साहचर्य से जुड़े व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले आचरण के बारे में अधिनियम]

उद्देश्यों और कारणों का कथन:

कुटुम्ब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगोत्र, अन्तर-जातीय और अन्तर-समुदायिक और अन्तर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्व-नियोजित निकायों द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों की बाढ़ आ गई है कई मामलों में, ऐसे निकायों ने हिंसा के उद्दीपन का अवलंब लिया है और विवाह करने के इच्छुक जोड़ों या ऐसे नव विवाहितों को अभित्रास या हिंसा झेलनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उनके घरों तक पीछा किया जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या कर दी जाती है । यद्यपि ऐसे अभित्रास या हिंसा के कार्य भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करते हैं फिर भी, ऐसे जमाव को रोकना आवश्यक है जो ऐसे साहचर्य की निन्दा करने के लिए होते हैं । अतः, यह विधेयक बुराई को पैदा होते ही न-ट कर देने और ऐसे जन-समूह के माध्यम से घृणा फैलाने या हिंसा के उद्दीपन को रोकने के लिए प्रस्तावित है । विधेयक की परिकल्पना भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य अपराधों के अलावा ऐसे जमाव के विरुद्ध विशेन अपराधों को गठित करने के लिए की गई है ।

.....

उपाबंध - 2

[रिपोर्ट के पैरा 2.7 का प्रतिनिर्देश करें]

वि-ाय : सम्मान के नाम पर विवाहों में जाति पंचायत, आदि का विधिविरुद्ध हस्तक्षेप : विधायी अवसंरचना का सुझाव

परामर्श पत्र

- सगोत्र या अपनी जाति/धर्म के बाहर विवाह करने वाले या विवाह करने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं सावधिकतः प्रकाश में आती रहती हैं । यह पता चला है कि प्रतिशोध या क्रमिक प्रभावों के भय से अधिकांश मामले उजागर ही नहीं होते हैं । प्रायः यह प्रकाश में आता है कि इन अपराधों और अन्य संबंधित घटनाओं के होने के कारण 'खाप पंचायत', 'कट्टा पंचायत' आदि के नाम से जाति/समुदाय सभाओं के हस्तक्षेप से जीवन और स्वतंत्रतता के गंभीर परिणाम होते हैं । जाति आधार पर एकत्र ये सभाएं स्वयं 'आपत्तिजनक' विवाहों पर विचार करने और घोनित करने की शक्ति और प्राधिकार ग्रहण कर लेते हैं और जीवन तथा स्वतंत्रता की लगभग बिलकुल परवाह नहीं करते तथा न्याय प्रशसन की प्रक्रियाओं से भी भयभीत नहीं होते । दंड विधि ऐसी जाति सभाओं के विधिविरुद्ध कार्यों पर प्रत्यक्षतः लागू नहीं होती और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है । इसी बीच निर्दो-। नवयुवकों को सताया जाता है और उत्पीड़ित किया जाता है और ऐसी सभाएं अबाधित प्राधिकार का प्रयोग करती रहती हैं तथा ऐसा लगता है कि ये सभाएं स्वयं को किसी सामाजिक नियंत्रण के अधीन लाने वाले किसी स्झाव का भी विरोध करती हैं।
- 2. खाप पंचायतों का घातक आचरण और इसी प्रकार विधि को अपने हाथों में लेना, सगोत्र तथा अन्तर-जातीय विवाहों की अविधिमान्यता और अनौचित्य पर निर्णय सुनाना तथा नव जोड़ों को दंड देना और कुटुंब के सदस्यों को किसी भी तरह उनके निर्णय को नि-पादित करने का दबाव डालना विधिसम्मत नियमों के खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण और प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वंत्रता पर आक्रमण की कोटि में आता है।

- 3. पुराने समय में चाहे जो भी धारणा रही हो, सगोत्र विवाह विधि द्वारा प्रतिनिद्ध नहीं है । हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1946 का अधिनियमन इस बाबत किसी शंका को दूर करने के लिए किया गया था । अधिनियम ने अभिव्यक्ततः उसी जाति के उसी 'गोत्र' या 'प्रवर' या भिन्न-भिन्न उप-विभाजनों के हिन्दुओं के बीच विवाह को विधिमान्य घोनित किया था । हिन्दू विवाह अधिनियम सगोत्र या अन्तर-जातीय विवाह को प्रतिनिद्ध नहीं करता ।
- 4. ग्राम के बुजुर्गों या कुटुम्ब के बुजुर्गों की धारणा को इच्छुक जोड़ों पर थोपा नहीं जा सकता है और किसी को समुदाय सम्मान या कुटुम्ब सम्मान की रक्षा के नाम पर बल का उपयोग करने या दूर-गामी अनुशास्ति अधिरोपित करने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसी सूचना है कि सभी या कुछ पंचायतदारों या उनकी मौनानुकूलता से तथाकथित पथभ्र-ट जोड़ों के विरुद्ध सगे नातेदारों या कुछ तीसरे पक्षकारों द्वारा सदो-। पिरोध, सतत प्रपीड़न, मानसिक यातना, कठोर शारीरिक क्षति समेत कठोर कार्रवाई का अवलंब लिया जाता है । प्रायः नव जोड़ों, कुटुम्बों और स्थानीय निवासियों के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले सामाजिक बहि-कार और अन्य अवैध अनुशास्तियों का अवलंब लिया जाता है । सार्वजनिक व्यवस्था आयामों पर भी ऐसे सभी कार्यों का संचयी प्रभाव पड़ता है ।
- 5. <u>अरुमुगम सेरवई</u> बनाम <u>तमिलनाडु राज्य</u> [(2011)6 एस. सी. सी. 405 में प्रकाशित] के हाल ही के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधि को अपने हाथों में लेने और ऐसे घृणात्मक क्रियाकलापों में लिप्त होने की खाप/कट्टा पंचायतों के आचरण की निन्दा की जो अपनी इच्छा से विवाह कर रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालते हैं।
- 6. "सम्मानवश हत्या" को हत्या के रूप में सम्मिलित करते हुए और सबूत का भार अभियुक्त पर डालते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों का अध्ययन किया गया। अनौपचारिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से विचारों को भी सुनिश्चित किया गया है। इन और विधि के कतिपय अन्य प्रतिमान की प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात्, स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित विधि की एक व्यापक अवसंरचना तैयार की गई है और यहां

संलग्न की गई है । इसके संदर्भ में जनता के विचार आमंत्रित किए जाते हैं ।

प्रारूप विधान (संलग्न)

- पूर्वोक्त उपबंधों के पीछे यह धारणा छिपी है कि इस आपत्ति के आधार पर कि अपनी इच्छा से विवाह कर रहे विवाहयोग्य नवयुवक या नवयुवतियां उसी गोत्र या भिन्न-भिन्न जाति या संप्रदाय के हैं, उनके आचरण पर चर्चा करने और आक्षेप करने के प्रयोजन से इकटठा होने या सभा करने के विरुद्ध आरंभ से ही वर्जित किया जाए । पंचायतदारों या जाति के बुजुर्गों को ऐसे नवयुवा जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके विवाह विधि द्वारा अनुमन्य हैं और वे ऐसी स्थिति नहीं पैदा कर सकते जिसके द्वारा ऐसे जोड़ों को संबद्ध ग्राम/इलाके में शत्रुतापूर्ण वातावरण में ढकेल दिया जाता है और उनकी सुरक्षा का जोखिम बढ जाता है । ऐसे निरंकुश कार्यों की प्रवृत्ति सामाजिक तनाव और असामंजस्य भी पैदा करना होता है । सामाजिक अधिक्रम पर आधारित ऐसी कोई मानसिक दशा या आस्था सामाजिक नियंत्रण और विनियम से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता जहां तक ऐसी आस्था रखने वाले लोग सही और गलत के प्रवर्तन के अभिकर्ता के रूप में स्वयं का प्रकटन करते हैं । विधि-विरुद्ध प्रयोजन अर्थात् विवाह जो अन्यथा विधि की सीमाओं के भीतर है, को अननुमोदित करने के लिए जमाव करने और पारिणामिक कार्रवाई करने को अपराध माना जाना चाहिए क्योंकि इससे संबद्ध व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचने की संभावना है ।
- 8. प्रस्तावित विधि भारतीय दंड संहिता के ऐसे उपबंधों के अल्पीकरण में नहीं है जो जाति पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने विधिविरुद्ध उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए गंभीर प्रकृति के विभिन्न अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।
- 9. आयोग का प्रथमदृ-टया यह मत है कि तथाकथित 'सम्मानवश हत्या' को इस उपबंध की परिधि के भीतर लाने के लिए भा. दं. सं. की धारा 300 में एक उपबंध सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । भा. दं. सं. के विद्यमान उपबंध ऐसे लक्ष्यित व्यक्ति जिसने अभिकथित रूप से जाति या समुदाय के सम्मान को धूमिल किया है, की मृत्यु करने या

शारीरिक अपहानि कारित करने के प्रकट कार्यों को पैदा करने वाली स्थितियों से निपटने के लिए काफी पर्याप्त हैं। किसी व्यक्ति को मारने का हेतुक धारा 300 में पृथक् उपबंध लाने का वास्तविक न्यायौचित्य नहीं पैदा करता जैसा प्रस्तावित विधेयक (जो समाचारपत्रों में प्रकाशित है) के अधीन किया जाना अनुध्यात है। संभवतः, ऐसे खंड को जोड़े जाने से भ्रम और निर्वचनात्मक कठिनाई पैदा हो सकती है।

- इसके अतिरिक्त, हत्या, आदि या उसके दु-प्रेरण के गंभीर अपराध वाले मात्र अभियोगों से जूझ रहे अभियुक्त पर भार परिवर्तित करना वांछनीय नहीं है । ऐसा प्रस्ताव हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में स्वीकृत और आमेलित न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा । तार्किक रूप से, यदि सबूत के भार को ऐसे मामले में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसा अनेक अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में भी करना होगा । एक समग्र दृ-िटकोण की आवश्यकता है और तात्कालिक स्थितियों से निपटने के लिए आपराधिक प्रक्रिया की सख्ती को आमूल-चूल रूप से विस्तार करने के किसी प्रयास का विपरीत प्रभाव हो सकता है । ऐसे प्रबल उपबंध को सम्मिलित करने से बचने की आवश्यकता है । इसके विकल्प के रूप में, आयोग का प्रथमद्-टया यह मत है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड 3 और 4 में प्रतिनिद्ध कार्यों के कार्य की बाबत उपधारणा की जा सकती है कि क्या वह विवाहित या विवाह करने के आशयित नव जोड़े के विश्द्ध विधिक आचरण की चर्चा करने और निंदा करने के प्रयोजन के लिए बुलाए गए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है । यह इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक है कि जमाव के एक या अधिक सदस्यों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिकाओं की पहचान के कार्य को पूरा करना कठिन है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उद्घाटित करने के इच्छुक नहीं होंगे और पारिस्थितिक साक्ष्य दो-ी व्यक्ति को फंसाने के लिए बहुत पर्याप्त नहीं होगा । ऐसी स्थिति में, खंड 6 द्वारा यथापरिकल्पित उपधारणा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी ।
- 11. इस संदर्भ में, आयोग यह मानता है कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के उपबंधों की सादृश्यता करना एक से अधिक कारणों से उचित नहीं है । 'सती' एक बर्बरतापूर्ण और स्थापित सामाजिक बुराई है जो देश के कतिपय भागों में व्याप्त है । उस बुराई की महत्ता और गंभीरता की तुलना इस समस्या से नहीं की जा सकती है । अधिक महत्वपूर्ण यह है कि

'सती' का अपराध हमेशा इससे जुड़े अनु-ठानों और समारोहों से युक्त एक सार्वजनिक कार्य रहा है और इसमें सिक्रय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को किठनाई के बिना पहचाना जा सकता है । ऐसे मामलों में अभियोग ठोस साक्ष्य पर आधारित होते हैं ।

भारत का विधि आयोग अधिमानतः ४ सप्ताह के भीतर इस पत्र का उत्तर प्राप्त करना चाहता है जो डाक या lci-dla@nic.in ई मेल पर भेजा जा सकता है ।

आयोग का वेबसाइट:

http://lawcommissionofindia.nic.in डाक का पता : भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, भारतीय विधि संस्थान भवन (उच्चतम न्यायालय के सामने), भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001, फैक्स : 23383564

.....

परामर्श पत्र का उपाबंध

विधिविरुद्ध जमाव का प्रति-ोध (वैवाहिक	
साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप)	
विधेयक, 2011	
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और उत्पीड़न का निवारण करने तथा सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिनेध करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनु-ांगिक वि-ायों का उपबंध करने के लिए विधेयक	
भारत गणराज्य के बासठवें वर्न में संसद द्वारा	
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-	
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिनेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) अधिनियम, 2011 है ।	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।	
3. यह उस तारीख को राज्य में प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न- भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।	
2. (1) व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह, इस आधार	
पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परंपरा का अनादर हुआ है या जमाव के सभी सदस्यों या भाग गठित करने वाले किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या संबद्ध इलाके के	जमाव
लोगों की ख्याति धूमिल हुई है, किसी समय किसी विवाह	

	पर विचार करने या चर्चा करने या निन्दा करने के आशय से इकट्ठा नहीं होगा, जमाव नहीं करेगा या एकत्र नहीं होगा । स्प-टीकरण : 'विवाह' के अंतर्गत प्रस्तावित या आशयित विवाह सम्मिलित होगा । (2) ऐसे जनसमूह या जमाव या सभा को विधिविरुद्ध जमाव समझा जाएगा और ऐसे जमाव को संचालित या आयोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य छह मास से अन्यून की अवधि जो एक वर्न तक हो सकती है, के कारावास से दंडनीय होगा और दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।	
	3. विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो अकेले या अन्य ऐसे सदस्यों से सहयोग से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सलाह देता है, प्रबोधित करता है या दबाव डालता है जिससे कि ऐसे विवाह को रोका या अननुमोदित किया जा सके जिस पर विधिविरुद्ध जमाव के उक्त सदस्यों द्वारा आक्षेप किया गया है, या ऐसे जोड़े या उसमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के प्रति वैमनस्य का वातावरण पैदा करता है, उनकी स्वतंत्रता के खतरे में किया गया कार्य समझा जाएगा और खतरे का ऐसा कार्य एक वर्न से अन्यून की अविध किन्तु जो दो वर्न तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और बीस हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा।	स्वतंत्रता का खतरा
1860 का 45	4(1) विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जो ऐसे विवाह जिस पर आक्षेप किया जा रहा है, से संबंधित उस जमाव के विधिविरुद्ध विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जोड़े या उनमें से किसी एक या उनके नातेदारों या समर्थकों के आपराधिक अभित्रास में लिप्त होता है, वह एक वर्न से अन्यून की अविध किन्तु जो तीन वर्न तक हो सकेगी, के कारावास से दंडनीय होगा और तीस हजार रुपए के जुर्माने से भी दायी होगा परंतु यदि धमकी से भा. दं. सं. की धारा 506 के दूसरे भाग में निर्दि-ट विवरण की अपहानि या क्षति कारित होती है तो अधिकतम दंड तीन वर्न के	

बजाय सात वर्न के कारावास तक होगा और जुर्माना तीस हजार रुपए तक होगा । स्प-टीकरण : 'आपराधिक अभित्रास' पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में है । 5. धारा 2, 3 और 4 के उपबंध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में ।	भा.दं.सं. के उपबंधों का अप्रभावित बना रहना
6. धारा 3 या धारा 4 के अधीन अभियोजन में, यदि यह पाया जाता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति ने विधिविरुद्ध जमाव में भाग लिया या हमेशा भाग लेता रहा तो न्यायालय यह उपधरणा करेगा कि वह धारा 3 और 4 में निर्दि-ट कार्यों के किए जाने सिहत विधिविरुद्ध जमाव के विनिश्चय को प्रभावी बनाने का आशय रखता है और सभी आवश्यक कदम उठाने का विनिश्चय किया है।	उपधारणा
7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— " (घ) विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिनेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) अधिनियम, 2011 का कोई उपबंध।"	1951 के अधिनियम 43 का संशोधन
8. (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि विधिविरुद्ध जमाव के आयोजित होने की संभावना है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसे किसी जमाव के आयोजित किए जाने और आदेश में विनिर्दि-ट किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के प्रति किसी कार्य को करने का प्रतिनेध करेगा।	
(2) कलक्टर या जिला माजस्ट्रेट पुलिस प्राधिकारिया की समुचित निदेश देने सहित ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के	

	
लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो आवश्यक हों । (3) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे उपाय करेगा जो विधिविरुद्ध जमाव द्वारा किए गए अवैध विनिश्चय के अनुसरण में लक्ष्यित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ।	
9(1) दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण राजपत्र में जारी अधिसूचना के अधीन गठित विशे-ा न्यायालय द्वारा किया जाएगा और विशे-ा न्यायालय की अध्यक्षता सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश की पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी।	अधिनियम के अधीन अपराधों का
(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से एक या अधिक विशेन न्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेन न्यायालय संपूर्ण राज्य या ऐसे भाग की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेगा जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किया जाए।	
10(1) विशे-ा न्यायालय, ऐसे तथ्य जिससे अपराध गठित होता हो, का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्य की पुलिस रिपोर्ट पर, अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।	न्यायालय
(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेन न्यायालय के पास किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होगी और ऐसे अपराध का विचारण करेगा मानो यह सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार यथासंभव सेशन न्यायालय हो।	
11(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय विशेन न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए संहिता के अधीन उसी विचारण में अभियुक्त पर आरोप लगाया जाए यदि अपराध	अपराधों की बाबत सेशन

ऐसे अन्य अपराध से संबद्ध हो ।	की शक्ति
(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेन न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के लिए भी ऐसे व्यक्ति को दोनसिद्ध कर सकेगा और उसके दंड के लिए अधिनियम या ऐसे अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा।	
12. दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।	अपराधों का संज्ञेय अजमानतीय और अशमनीय होना

परामर्श पत्र का उपाबंध

विधि विरुद्ध जमाव का प्रतिनेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक

उद्देश्यों और कारणों का कथन:

कुटुम्ब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगोत्र, अन्तर-जातीय और अन्तर-समुदायिक और अन्तर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्व-नियोजित निकायों द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों की बाढ़ आ गई है कई मामलों में, ऐसे निकायों ने हिंसा के उद्दीपन का अवलंब लिया है और विवाह करने के इच्छुक जोड़ों या ऐसे नव विवाहितों को अभित्रास या हिंसा झेलनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उनके घरों तक पीछा किया जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या कर दी जाती है । यद्यपि ऐसे अभित्रास या हिंसा के कार्य भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करते हैं फिर भी, ऐसे जमाव को रोकना आवश्यक है जो ऐसे साहचर्य की निन्दा करने के लिए होते हैं । अतः, यह विधेयक बुराई को पैदा होते ही न-ट कर देने और ऐसे जन-समूह के माध्यम से घृणा फैलाने या हिंसा के उद्दीपन को रोकने के लिए प्रस्तावित है । विधेयक की परिकल्पना भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य अपराधों के अलावा ऐसे जमाव के विरुद्ध विशेन अपराधों को गठित करने के लिए की गई है ।

.....

उपाबंध 3

[रिपोर्ट के पैरा 7.1 का प्रतिनिर्देश करें]

ऐसे उत्तर देने वालों की सूची जिन्होंने सम्मान के आधार पर विवाहों से जाति पंचायत आदि के विधिविरुद्ध हस्तक्षेप : प्रस्तावित विधायी अवसंरचना के परामर्श पत्र का उत्तर दिया ।

- 1. मिजोरम सरकार, गृह विभाग
- 2. रेनू मिश्र, प्रोग्राम क्वार्डिनेटर, ए.ए.एल.आई.
- 3. प्रदीप सिंह, नई दिल्ली
- 4. डा. तरुनाभ खेतान, फेला इनला, क्राइस्ट चर्च, आक्सफोर्ड
- डा. सुरजीत सी. मुखोपाध्याय, रिजस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल रा-ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
- 6. मध्य प्रदेश सरकार, विधि और विधायी विभाग, भोपाल
- 7. रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार, गृह विभाग, नई दिल्ली
- 8. ओड़ीसा सरकार, विधि विभाग
- मेजर जनरल नीलेन्द्र कुमार, निदेशक, एमिटी विश्वविद्यालय,
 एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- 10. महारा-द्र सरकार, विधि और न्यायिक विभाग, मुम्बई
- 11. सिक्किम सरकार, गृह विभाग, गंगटोक
- 12. मणिपुर सरकार, विधि और विधायी विभाग

* * * * * * * * * * * * *